

Serial-No. 20004

Deed No. 18589



Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **16/11/2024** by **Pradip Kumar**

A stamp duty of Rs. **85500/-** and other fees of Rs. **26025/-** has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. **18589** in Book No. **1**, Volume No. **419** on pages from **115** to **132** and has been preserved in total **18** pages in C.D. No. **65** / Year **2024**

[Signature]
16/11/24

Signature with Date
(**Ravi Ranjan**)

Registering Officer, **Patna**

Date: 16/11/2024

Token No: 20323/2024

[Signature]
16/11/2024
[Signature]
16/11/24
[Signature]
16/11/24

[Signature]
16/11/24
[Signature]
16/11/24
[Signature]
16/11/24

[Signature]
SCANNED BY

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा आज दिनांक-16
11.2024 ई0 को निम्न पक्षों के बीच निर्विवाद रूप से निष्पादित किया
गया।



VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

[Signature]
AUTH. SIGN.
16/11/24

District Registry Office, Patna

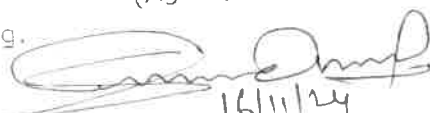
Deed Number 18589

Token Number 20323

Reg. Year 2024

Serial Number 20004

PresType
Claimant Name
Shivanand Kumar
(Agent)

Sig. 
16/11/24



Claimant Venus Star
Construction Pvt Ltd
(Principal) Vinay
Pruthi

Sig. N/A

N/A

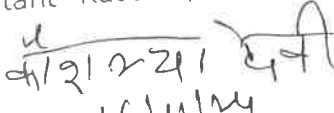
N/A

N/A

N/A

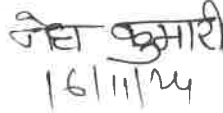
N/A

Executant Kaushalya Devi

Sig. 
16/11/24

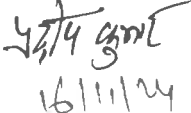


Executant Neha Kumari

Sig. 
16/11/24

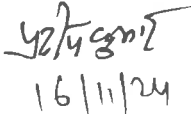


Presented Pradip Kumar

By 
16/11/24



Executant Pradip Kumar

Sig. 
16/11/24

Photo

Thumb

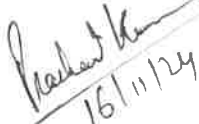
Index

Middle

Ring

Little

Executant Prashant Kumar

Sig. 
16/11/24



Executant Shanu Kumar

Sig. 
16/11/24

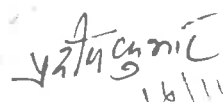


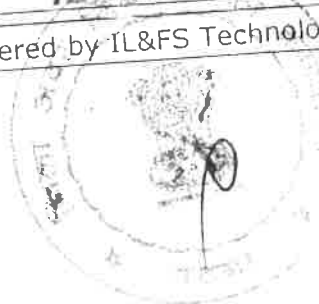
SCORE Ver.4.0

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2800sop




16/11/24



आदेशानुसार वसुधैव कुटुम्बकम् द्वारा
दिएवाया गया मुद्रा का संपूर्ण
जांच किया गया जो अक्षरों में
साक्ष्य सहित की परती हुई है

24/11/24

भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष का नाम एवं पूरा पता :-

(I) श्री प्रदीप कुमार (SRI PRADIP KUMAR), (D.O.B.-02-01-1963/Aged about-61 Year, Aadhaar No.-7932 9538 4136, PAN-BKLPK3348F, Mobile No.-9234803319), पिता का नाम स्वर्गीय राम औतार साह,

(II) श्री शानू कुमार (SRI SHANU KUMAR), (D.O.B.-01-01-1995/Aged about-29 Year, Aadhaar No.-7505 3476 8517, PAN-DDKPK1905E, Mobile No.-7739062613), पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार एवं दादा का नाम स्वर्गीय राम औतार साह,

(III) श्री प्रशांत कुमार (SRI PRASHANT KUMAR), (D.O.B.-07-11-1989/Aged about-35 Year, Aadhaar No.-5419 7997 3449, PAN-BOYPK2291A, Mobile No.-9901416888), पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार एवं दादा का नाम स्वर्गीय राम औतार साह,

(IV) श्रीमती कौशल्या देवी (SMT. KAUSHALYA DEVI), (D.O.B.-01-01-1957/Aged about-67 Year, Aadhaar No.-8354 2684 3129, PAN-CCOPD0491A, Mobile No.-7564004061), पति का नाम स्वर्गीय शत्रुधन प्रसाद,

(V) श्रीमती नेहा कुमारी (SMT. NEHA KUMARI), (D.O.B.-14-08-1984/Aged about-40 Year, Aadhaar No.-5656 0243 6942, PAN-KRYPK8883C, Mobile No.-8210302282), पति का नाम स्वर्गीय राजेश कुमार एवं ससुर का नाम स्वर्गीय शत्रुधन प्रसाद,

(VI) श्री सुजीत कुमार (SRI SUJEET KUMAR), (D.O.B.-12-06-1979/Aged about-45 Year, Aadhaar No.-8510 9200 5275, PAN-BDPPK8685J, Mobile No.-8779067384), पिता का नाम स्वर्गीय शत्रुधन प्रसाद,

सभी का निवास स्थान—फुलवारी शरीफ, टमटम पड़ाव, पाटलीपुत्रा कॉ-ऑपरेटिव बैंक के पीछे, पत्रालय एवं थाना— फुलवारी शरीफ, शहर एवं जिला—पटना (बिहार), पिन—801505, राष्ट्रीयता—भारतीय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे “भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष” इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

श्री प्रदीप कुमार
16/11/24
श्री शानू कुमार
16/11/24

श्री प्रशांत कुमार
16/11/24
श्रीमती कौशल्या देवी
16/11/24

श्रीमती नेहा कुमारी
16/11/24
श्री सुजीत कुमार
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.
16/11/24



District Registry Office, Patna

Token Number 20323

Reg. Year 2024

Serial Number 20004

Deed Number 18589

PresType Name

Executant Sujeet Kumar

Sig.

सुजीत कुमार
16/11/24



Thumb



Index



Middle



Ring



Little



Identified Gautam Kumar

By

Sig.

गौतम कुमार
16/11/24



SCORE Ver.4.0

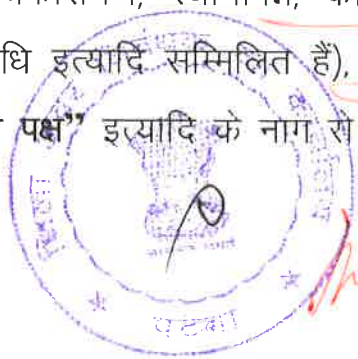
Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2800sop133



विकासकर्ता/उन्नयनकर्ता/द्वितीय पक्ष नाम एवं पूरा पता :-

वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (VENUS STAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED), (PAN-AADCV5348L),
कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान सं०-U45200BR 2011PTC016549 एवं निबन्धित कार्यालय-102/103, प्रथम तल्ला, वीनस हेरिटेज अपार्टमेंट, पीलर सं०-91 के उत्तर, शेखपुरा मोड़, बेली रोड, थाना-शास्त्री नगर, पत्रालय-बी०भी० कॉलेज, शहर वो जिला-पटना (बिहार), पिन-800014, द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.) श्री विनय परुथी (MR. VINAY PRUTHI) Aged about-45 Years, Mobile No.-7400330000, Aadhaar-8208 9257 3789), पिता का नाम श्री योगराज परुथी, निवास स्थान-मकान संख्या-360, गीता हॉस्पिटल के पीछे, फरीदाबाद, सेक्टर- 28, पत्रालय-फरीदाबाद सेक्टर-29, थाना-फरीदाबाद सेक्टर-28, शहर एवं जिला-फरीदाबाद (हरियाणा), पिन-121008, द्वारा प्रमाणीकृत मुख्तारनामा धारक श्री शिवानन्द कुमार (MR. SHIVANAND KUMAR), Aadhaar No.-8210 0670 5000, Mobile No.-7070992584), पिता का नाम श्री सत्यनारायण साह, निवास स्थान-जय हिन्द कॉलोनी, न्यू रानीपुर, फुलवारी शरीफ, पत्रालय एवं थाना-फुलवारी शरीफ, जिला-पटना (बिहार), राष्ट्रीयता-भारतीय, जिसका निबन्धित प्रमाणीकृत मुख्तारनामा सं०-40, पुस्तक सं०-4, जिल्द सं०-1, पृष्ठ सं०-380 से 385 तक, टोकन सं०-4480/2023 ई० वो सिरीयल सं०-4404, दिनांक-28-04-2023 ई० अवर निबन्धन कार्यालय, दानापुर (बिहार) से निबन्धित है (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न, कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे “विकासकर्ता/उन्नयनकर्ता/द्वितीय पक्ष” इत्यादि के नाग से रागबोधित किया गया है।



जि.ए. कुमारी
16-11-2024
16/11/24

सुजीत कुमार
16/11/24
16/11/24

प्रदीप कुमार
16/11/24
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

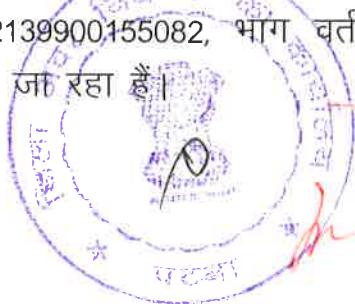
Auth. SIGN.
16/11/24



— : सन्दर्भ : —

हकिकत यह है कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य एराजीयात को उपरोक्त भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष को बदलैन-पत्र (डिड् ऑफ एक्सचेंज) के द्वारा प्राप्त सम्पत्ति है। जिसमें प्रथम बदलैन-पत्र (डिड् ऑफ एक्सचेंज) दिनांक-16-11-2024 ई0 को निबन्धित दस्तावेज संख्या-8549 पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं0-203, पृष्ठ सं0-342 से 361 तक एवं सिरियल संख्या-8767, अवर निबंधन कार्यालय-दानापुर (बिहार) के द्वारा श्री अरुण कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द भगत, निवास स्थान-मखदुमपुर, पत्रालय-खगौल, थाना-दानापुर, जिला-पटना (बिहार), पिन-801105 से प्राप्त किये है वो द्वितीय बदलैन-पत्र (डिड् ऑफ एक्सचेंज) दिनांक-16-11-2024 ई0 को निबन्धित दस्तावेज संख्या-8548, पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं0-203, पृष्ठ सं0-322 से 341 तक एवं सिरियल संख्या-8766, अवर निबंधन कार्यालय-दानापुर (बिहार) के द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द भगत, निवास स्थान-मखदुमपुर, पत्रालय-खगौल, थाना-दानापुर, जिला-पटना (बिहार), पिन-801105 से प्राप्त किये है जिसपर बदलैन-पत्र (डिड् ऑफ एक्सचेंज) के दिन से उपरोक्त भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष अनुसूची-I में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य एराजीयात पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू-स्वामीगण के हैसियत से काबिज-दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये चले आ रहे हैं।

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य एराजीयात के निश्चत् रजिस्टर-2 में पूर्व भूस्वामी 1. श्री अरुण कुमार, पिता का नाम पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द भगत का नाम दर्ज है एवं अंचलाधिकारी कार्यालय-दानापुर (बिहार), हलका-लखनीबिगहा के माध्यम से कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या-212139900155083, भाग वर्तमान-5 एवं पृष्ठ सं0-83 पर लगान अदा किया जा रहा हैं वो 2. श्री उपेन्द्र कुमार, पिता का नाम पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द भगत का नाम दर्ज है एवं अंचलाधिकारी कार्यालय-दानापुर (बिहार), हलका-लखनीबिगहा के माध्यम से कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या-212139900155082, भाग वर्तमान-5 एवं पृष्ठ सं0-82 पर लगान अदा किया जा रहा हैं।



श्री अरुण कुमार
16-11-2024

श्री उपेन्द्र कुमार
16-11-24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.
16/11/24

इस प्रकार अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का सर्वाधिकारी वो दखलकार वो हस्तांतरण कर्ता का मात्र प्रमाण भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को प्रमाणित होता है वो भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू-स्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहते हुये चले आ रहे हैं।

इस तरह भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का विकास एकरारनामा/एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम वो स्वतंत्र हैं।

यह कि वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक रीयल इस्टेट कम्पनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि का विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाना, डुप्लेक्स/ट्रिप्लेक्स/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप का निर्माण करना, कॉलोनी बसाना, व्यावसायिक/आवासीय बहुमंजिला इमारत बनाना, मॉल बनाना वो अनेक प्रकार से भूमि का विकास कर उसे अपने क्रेता को बेचना है।

यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के बीच इस संबंध में इस दस्तावेज के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त भूमि पर बहुमंजिला आवासीय इमारत का निर्माण हेतु ग्रहण करेंगे एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला इमारत की निर्माण करेंगे।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर भूकम्प अवरोधी बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जायेगा :-

1. यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अनुसूची-1 में वर्णित भूमि को, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष की नियुक्ति, वर्णित भूखण्ड क्षेत्र पर नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप एवं बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006/समय-समय पर संशोधित अधिनियम/सम्बन्धित नए/अन्य अधिनियम के प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य वर्णित निर्धारित अवधि के अन्दर, नियम एवं शर्तों के अनुसार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेंगे। इस संदर्भ में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी कि सम्बन्धित विभाग को देने हेतु आवश्यक सभी भूमि सम्बन्धित दस्तावेज इस एकरारनामा के निष्पादन के तुरन्त बाद विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कर दें एवं भूमि के सभी आवश्यक कागजात के पूर्ण होने के पश्चात् नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा।

कार 1 म 24 16/11/24
जि. व. कार 1

16.11.2024

रुजित कुमार 16/11/24
16/11/24

परीपुष्पा 16/11/24
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

Auth. SIGN. 16/11/24

6. यह कि, दोनों पक्षों द्वारा यह तय किया गया है कि नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड के लिये स्वीकृत F.A.R. के कुल निर्मित क्षेत्र में एक कट्टा समतुल्य 3.125 डिसमिल के बंदले 1650 (एक हजार छह सौ पचास) वर्गफीट परम निर्मित क्षेत्रफल (Super Built-Up Area) प्लैट के रूप में दिया जायेगा एवं एक प्लैट के साथ एक कार पार्किंग (पार्किंग का आवंटन कम्पनी द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा) प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में निर्माणोपरान्त भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के सहमति के द्वारा प्रथम पक्ष को आवंटन किया जाएगा वो बाकी बचा कुल निर्मित क्षेत्र विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का होगा। जिसकी सहमति स्वीकृत के साथ भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष वो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा दी जाती है।

7. यह कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का नक्शा स्वीकृत होने के पश्चात् दोनों पक्ष प्रस्तावित नक्शा के आधार पर एक अनिवार्य हिस्सा का वितरण (Share Distribution) का निष्पादन करेंगे जो इस विकासकार्य एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा, और उसी के अनुरूप दोनों पक्ष उक्त युनिट, प्लैटों का स्वामित्व होगा। भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को मिलने वाले सम्पूर्ण हिस्सा का चयन भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के सहमति के अनुसार होगा।

8. यह कि भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि पर भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष के अलावे किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है, अगर कोई दावा करता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वो जबाबदेही भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष की है वो रहेगी एवं इसका निपटारा भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष स्वयं प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अपने मिलने वाले उपरोक्त हिस्से के द्वारा ही करेंगे, किसी भी परिस्थिति में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

9. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना का नक्शा नियमानुसार नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार द्वारा निबन्धन करा कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु स्वीकृति मिलने की तिथि से निर्माण कार्य पाँच वर्ष एवं इसके अतिरिक्त छः महीना का समय विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को ग्रेस अवधि के रूप में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया है, जिसके भीतर उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के निर्माण, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष का पूरा हिस्सा दखल कब्जा दे देंगे, बशर्ते कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना, लॉकडाउन, महामारी, निर्माण सामाग्री के उपलब्ध नहीं होने, स्वामित्व सम्बन्धित विवाद आदि के कारणों से निर्माण कार्य में बाधा न पहुँचाये तथा उन समयों को निर्माण के लिये निर्धारित अवधि में गणना नहीं की जाएगी एवं समय स्वतः बढ़ जाएगा।

रवि कुमार
16.11.2024
16.11.24

सुजीत कुमार
16.11.24
16.11.24

यदीय कुमार
16.11.24
16.11.24

10. यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं, कि यदि किसी प्रकार का दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखण्ड या भूखण्ड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटारेंगे और इस कारण से निर्माण में हुई विलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

11. यह कि किसी कारणवश जिसके लिए भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष दोषी हो निर्माण कार्य बन्द हो जाये या निर्माण कार्य में बाधा हो अथवा सरकारी नितियों के कारण, मुकदमों के कारण या न्यायालय आदेश के तहत निर्माण कार्य ठप्प हो जाये ऐसी परिस्थिति में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का कोई दोष नहीं माना जाएगा। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को गुजरने में जो समय लगेगा उन सभी समयों की गणना निर्धारित समय में नहीं की जाएगी।

12. यह कि बहुमंजिला इमारत बनने के सभी तरह के खर्च का वहन इस एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा।

13. यह कि, इस एकरारनामा के तहत विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से कोई सरोकार या दावा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष नहीं करेंगे।

इसी तरह भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र एवं निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र में कोई सरोकार या दावा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष नहीं करेंगे तथा दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से को बिना दूसरे के इजाजत के बेचने, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

14. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा, पूंजी का समावेश (लोन) विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के अनुसार लेंगे। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के विकसित क्षेत्रों पर किसी तरह का बैंक खर्च (लोन), इत्यादि नहीं लेंगे। पूंजी मुहैया हेतु भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने-अपने हिस्से के अनुसार करेंगे इसके लिए भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक-दूसरे से लेने की आवश्यकता न है ना होगी।

मेधा कुमारी
16.11.2024
विकासकर्ता द्वितीय पक्ष
16/11/24

सुजीत कुमार
16/11/24
16/11/24

यदिपुष्पा
16/11/24
16/11/24

VLNUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

Auth. SIGN.
16/11/24



15. यह कि जब कभी विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को आवश्यकता होगी, कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की आवश्यकता किसी भी तरह के वसीकाओं के निष्पादन, लोन लेने हेतु पड़ेगी, तब भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष किसी भी क्रेता/तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिये स्वामित्व स्थानांतरण हेतु, लोन हेतु या अन्य कागजातों पर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष हस्ताक्षर/निष्पादन करेंगे तथा निर्धारित किये गये शेयर्स के मुताबिक आचरण करेंगे।

16. यह कि इस दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष एवं इनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों इत्यादि को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश कर कार्य करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे विभिन्न विकासकार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें।

17. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि उपरी छत, सेट बैंक, सीढ़ी इत्यादि पर सभी फ्लैट में रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा एवं व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का कोई दावा नहीं होगा।

18. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि अगर किसी भी प्रकार का बिक्री कर, नगरपालिका कर, GST या किसी भी अन्य प्रकार का कर/टैक्स/चुर्गी देना पड़ेगा तो प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से/परम निर्मित क्षेत्र के अनुसार सम्बन्धित कार्यालय में भुगतान स्वयं या अपने क्रेता से प्राप्त कर का भुगतान करेंगे।

19. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष से पूर्ण निर्माण होकर दखल-कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् अपने हिस्से में मिलने वाले सम्पूर्ण हिस्से से सम्बन्धित रख रखाव शुल्क स्वयं या अपने क्रेता से प्राप्त कर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भुगतान करेंगे, एवं क्लब हाउस चार्ज/शुल्क हिस्से में मिलने वाले सम्पूर्ण हिस्से का एक तिहाई भाग या 4 (चार) फ्लैट जो भी एरिया कम होगा, उसको छोड़ बाकी जो भी एरिया होगा उस पर क्लब हाउस चार्ज/शुल्क भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भुगतान करेंगे, परन्तु भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष अपने हिस्से के फ्लैट/परम निर्मित क्षेत्र इत्यादि का बिक्री या विक्रय-मनोबंध करेंगे तो उसका रख रखाव शुल्क एवं इन्फ्रा/क्लब हाउस चार्ज/शुल्क भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष अपने खरीदार से प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को भुगतान करेंगे।

क्रेता
16/11/24
16/11/24
16/11/24

सुजित कुमार
16/11/24
16/11/24

प्रदीप कुमार
16/11/24
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

Auth. SIGN.
16/11/24

20. यह कि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी वो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के शेयर वितरण के समय प्लैटों के रूप में परम निर्मित क्षेत्र के समायोजन में अगर भूखण्ड स्वामी को परम निर्मित क्षेत्र का उपरोक्त वर्णित हिस्सा से ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है तो भूखण्ड स्वामी बड़े हुए परम निर्मित क्षेत्र का प्रतिफल की राशि लान्चिंग मूल्य (Launching Rate) के अनुसार आपसी सहमति से विकासकर्ता को देंगे अगर विकासकर्ता को परम निर्मित क्षेत्र का उपरोक्त वर्णित हिस्सा से ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है तो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष बड़े हुए परम निर्मित क्षेत्र का प्रतिफल की राशि लान्चिंग मूल्य (Launching Rate) के अनुसार आपसी सहमति से भूखण्ड स्वामी को देंगे।

21. यह कि अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड/बहुमंजिला इमारत के सटे अगल-बगल/आगे-पीछे के भूखण्ड पर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत हेतु विकासकार्य एकरारनामा किसी से करते हैं या भूखण्ड खरीदते हैं तब अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड को अन्य भूखण्ड के साथ मिलाकर बहुमंजिला इमारत एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण करेंगे या अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड पर निर्मित बहुमंजिला इमारत के लिये उपयोग किया जाने वाला रास्ता को ही दूसरी बनायी जाने वाली बहुमंजिला इमारत के लिए एपरोच रोड/पहुँच-मार्ग/उपागमन सड़क के रूप में करेंगे। जिसकी सहमति वो स्वीकृति इस दस्तावेज के द्वारा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को हमेशा के लिये अधिकार देते हैं, अब विकासकर्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड/प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के सटे/अगल-बगल/आगे-पीछे के भूखण्ड को मिलाकर एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष सभी प्रकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर स्वीकृति हेतु देंगे एवं बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु सभी तरह का कार्य करेंगे।

22. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित निर्माण के लिए रकम जुटाने वो क्रेता को आकर्षित करने हेतु अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड में साइनबोर्ड/होर्डिंग इत्यादि लगायेंगे, न्यूज पेपर, इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देंगे। जिसका पूरा खर्च विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

23. यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सहमत और बचनबद्ध हैं, कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा समय-समय पर संशोधित अधिनियम / बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित अधिनियम, अन्य अधिनियम, अन्य सभी

कुमारी
16/11/24
16/11/24
16/11/24

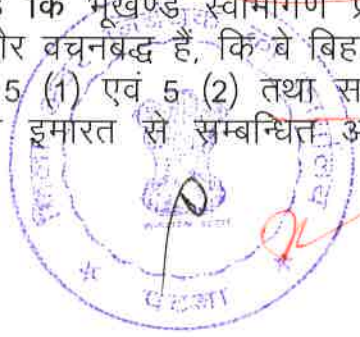
सुजीत कुमार
16/11/24
16/11/24

यदीय कुमार
16/11/24
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

AUTH. SIGN.

16/11/24



प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से के पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामीगण होंगे तथा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से को पृथक्/अलग से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे, जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासकर्ता अपने हिस्से का क्षेत्र को पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामीगण के रूप में बंधक रखकर ऋण ले लेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा इत्यादि करेंगे।

24. यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज-दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस दस्तावेज के माध्यम से अपना-अपना नाम वर्तमान जमाबन्दी धारक के नाम के स्थान पर दाखिल खारीज के द्वारा रजिस्टर-2 में दर्ज कराकर लगान/कर निर्विवाद रूप से पूर्ण भू-स्वामीगण की हैसियत से देय करते रहेंगे वो इसके अलावे भी जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझेंगे अपना नाम दर्ज करा लेंगे, इसमें दोनों पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा.

25. यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं :-

(i) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका विकास करने या कराने के लिए अधिकार प्राप्त है।

(ii) यह कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष उक्त भूमि के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में विकासकर्ता सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और भूखण्ड स्वामीगण वचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्यवाई नहीं करेंगे।

(iii) कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने, ऋण लेने का अधिकार होगा।

(iv) कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग/अधिकारियों को आवेदन करेंगे तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए एवं अन्य कार्यों के लिये भी आवेदन करेंगे।

(v) कि किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना।

जय कृष्ण
16/11/24
16/11/24

सुजित कुमार
16/11/24
16/11/24

प्रदीप कुमार
16/11/24
16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

16/11/24
AUTH. SIGN.

33. यह कि एकरासनामा दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि पर लागू रहेगा।

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

16/11/24
AUTH. SIGN.
Lutti

34. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति The Arbitration and Conciliation Act के तहत किया जाएगा एवं विवाद या मतभेद समाप्त किया जाएगा।

35. यह कि बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006/समय-समय पर संशोधित अधिनियम/बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित नए/अन्य अधिनियम की सभी नियम और शर्तें लागू होगी।

अनुसूची-I

विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के आवासीय परती भूमि का विवरण :-

क्षेत्रफल 28.4426 डिसमिल (अट्टाईस दशमलव चार चार दो छह डिसमिल), आवासीय परती रैयती भूमि पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल-कब्जा इत्यादि के साथ, अवस्थित सर्वे मौजा-संदलपुर, परगना-फुलवारी शरीफ, थाना-दानापुर, अवर निबंधन कार्यालय-दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय वो जिला-पटना (बिहार)। जिसका सर्वे थाना संख्या-43 (तेतालीस), तौजी बिहार सरकार, खाता संख्या-67 (सड़सठ), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या- 27 (सताईस) का अंश जिसमें क्षेत्रफल-19.1106 डिसमिल एवं खाता संख्या-67 (सड़सठ), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-33 (तैंतीस) का अंश जिसमें क्षेत्रफल-9.332 डिसमिल एवं सम्पत्ति का वार्षिक निर्धारित लगान लगभग ₹100/- अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हलका-लखनीबिगहा के माध्यम से 1. कंप्यूटरकृत जमाबन्दी संख्या-212139900155083, भाग वर्तमान-5 एवं पृष्ठ सं0-83, 2. कंप्यूटरकृत जमाबन्दी संख्या- 212139900155082, भाग वर्तमान-5, पृष्ठ सं0-82 पर दिया जा रहा है एवं सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद दानापुर निजामत/नगर परिषद खगौल के अन्दर है, जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है:-

खाता संख्या	कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूल्य
67	27	19.1106 डिसमिल	₹28,67,000/-

- : चौहद्दी :-

उत्तर :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-27 का अंश-

दक्षिण :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-35 एवं 36 का अंश

पूरब :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-25 एवं 27 का अंश

पश्चिम:- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-28 का अंश-

वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

खाता संख्या

कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूल्य
33	9.332 डिसमिल	₹14,00,000/-

- : चौहद्दी :-

उत्तर :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-32 का अंश

दक्षिण :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-34 का अंश

पूरब :- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-33 का अंश

पश्चिम:- कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या-33 का अंश

नोट :- उपर्युक्त सम्पत्ति न्युनतम दर पंजी के कोड सं0-164 पर अंकित है एवं जिसका वर्तमान बाजार मूल्य ₹42,67,000/-रूपये मात्र।

खेसरा नती अप्रप्त है

कार्यालय में उपलब्ध रोक सूची से मुक्त पाया

प्रभारी

16/11/24

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

AUTH. SIGN. 16/11/24

विद्या केशरी 16/11/24

सुजीत कुमार 16/11/24

Sham Singh 16/11/24

Prakash Kumar 16/11/24

इस वास्ते यह दस्तावेज उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने मानसिक व शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव व धमकाव के अपने तथा परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ व बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर एक दूसरे के बनाम व वहक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे।

गवाह का नाम एवं पूरा पता :-

1. जौतम कुमार 16/11/24
पता - श्री लालन प्रसाद
ग्राम - मन्वकुपुर
पोस्ट - खजौरा
थाना - थानापुर पटना 16/11/24

2. Sandeep Raj
S/O R. N. Prasad
Sheshi Nagar
Patna 16/11/24

श्रीधर कुमार 16/11/24
Shekhar Kumar 16/11/24
सुजीत कुमार 16/11/24
Sham Kumar 16/11/24
16/11/24 का 16/11/24, दुपरी 16/11/24

(भूखण्ड-स्वामीगण प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर)

VENUS STAR CONSTRUCTION PVT. LTD.

Auth. SIGN.
16/11/24



(विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर)

भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों व भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के कथनानुसार इस निर्विवाद उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा का प्रारूप तैयार किया, उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा के प्रारूप को अच्छी तरह से भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष व विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को पढ़कर सुना व समझा दिया।

टंकणकर्ता-

Naveen



सुबोध कुमार (अधिवक्ता)

एम.एस.सी., एल.एल.बी.

PRAPERTY
DOCUMENT CENTRE
MOBILE - 9334167775
8877444499

Earthquake Resistant R.C.C framed structure design by
Grade 'A' licensed structure engineer.

Entire floor of flats and common space will be of Digital Vitrified Tiles.

Black Granite counter top with stainless steel sink (Branded) & drain board, glazed tiles up to 3ft. height over counter. Provision for hot & cold water in sink.

Provision for hot & cold-water system. Glazed tiles in eye soothing color on top of wall ALL C.P fitting make by Jaguar/equivalent Sanitary ware and fittings will be branded.

Power Distribution MCB's & branded modular switches.

UPVC Windows with float glass.

: Entrance door & also other door of decorative teak seasoned hardwood frame with European style door shutter with brass fittings.

- Waterproof exterior plaster with wall putty.

Permanent finish with wall putty with weather coat.

:_Provided CCTV Camera.

• Tile/Granite on riser & tread with SS/MS railings.

[illegible]

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, '1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 85500/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 111525/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge				
FEE PAID	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	0	1000			
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	0				
	A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25	Total	0				
	A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0						
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0								
	TOTAL-									25025						
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										26025		11/11/24				


Registering Officer
Patna

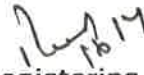
Date: 16/11/2024

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Saturday, 16th November 2024 by Pradip Kumar Late Ram Awtar Sah by profession Others. Status - Executant


Signature/L.T.I. of Presentant

Date:16/11/2024


Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

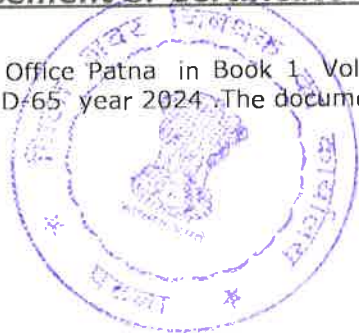
Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Gautam Kumar' age '38' Sex 'M', 'Lalan Prasad', resident of 'Makhdumpur, Lakhni Bigha, Dist.- Patna.'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 16/11/2024

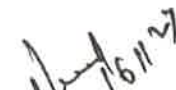

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 419 on pages on 115 -132, for the year 2024 and stored in CD volume No. CD-65 year 2024 .The document no. is printed on the Front Page of the document.



Date : 16/11/2024


Registering Officer
Patna

Token No. : 20323 Year : 2024 S.No. : 20004 SCORE Ver.4.1 Deed No. : d No. : 18589



25/11/24